



लोक सभा सचिवालय

प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध

संसद भवन, नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT**

Press and Public Relations Wing  
Parliament House, New Delhi

## प्रेस विज्ञापित PRESS RELEASE

### **INDIA REBUTS POSITION TAKEN BY PAKISTANI PARLIAMENTARY DELEGATION IN 4TH SOUTH ASIAN SPEAKERS' SUMMIT ON "ACHIEVING THE SUSTAINABLE GOALS (SDGS)" IN MALE (MALDIVES)**

**Male (Maldives), 01 September 2019:** Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha Shri Harivansh, who is in Male (Maldives) as a member of the Indian Parliamentary Delegation led by Hon'ble Lok Sabha Speaker Shri Om Birla, while participating in the discussions at the 4th South Asian Speakers' Summit on 'Achieving the Sustainable Goals (SDGs)', responded to the position taken by Mr. Qasim Suri, Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan and delegate of Pakistan Parliamentary Delegation today as per the following Point of Order:

'Excellency, we strongly object raising internal matters of India in this Forum.

We also reject the politicisation of this Forum by raising issues which are extraneous to the theme of this Summit. There is need for Pakistan to end cross-border terrorism and all kinds of State support to the same in the interest of regional peace and stability.

Excellency, terrorism is the biggest threat for entire humanity and world today.

Therefore, unanimously we should not allow in this august gathering any kind of circulated statement to become a part of the proceedings.

Excellency Speaker Mohamed Nasheed, Maldives' Majlis and Excellency Secretary General IPU Mr. Martin repeated a categorical statement that this Forum / Summit is only meant to discuss SDG. Even then this internal issue of another country is being mentioned, by the Deputy Speaker of Pakistan.

Kindly allow me again I have Point of Order since human rights issue has been raised by some other delegate of the same country.

Excellency, I would like to ask what moral rights this country has to raise issues related to human rights? The world knows how they committed genocide in a part of their own country and that country is now separate entity called Bangladesh. Since they have raised human rights issue of Kashmir, I would like to state facts that Pakistan has occupied our part of Kashmir known as Pakistan Occupied Kashmir. This Pakistan Occupied Kashmir comprises 2 areas, the so-called Azad Jammu & Kashmir (AJK) and Gilgit Baltistan (GB) which Pakistan has illegally occupied through armed action in 1947. Pakistan has kept people of this region guessing on their status. As a constitutional entity, the so-called 'AJK' is unique. It has been given the trappings of a country with a President, a Prime Minister and a Legislature of its own. But the so-called AJK is neither a country nor a province. The Karachi Agreement (April 28, 1949) truncated POJK and brought more than 85% of the land, strategically important for its connectivity with China and control of rivers, under Pakistan's direct control'. From the time of the Karachi Agreement, the so-called AJK President and Prime Minister have enjoyed only titular power, that too at the pleasure of the Ministry of Kashmir Affairs [later on Ministry of Kashmir and Northern Areas (KANA) and then Ministry of Kashmir and GB].

**माले (मालदीव) में 'सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति' हेतु चौथे दक्षिण एशियाई देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में पाकिस्तानी संसदीय शिष्टमंडल के दावों का भारत द्वारा खंडन**

**माले (मालदीव), 1 सितंबर 2019:** सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के संबंध में चौथे दक्षिण एशियाई देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की चर्चा में भाग लेते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में माले (मालदीव) में उपस्थित राज्यसभा के उपसभापति श्रीहरिवंश ने पाकिस्तान संसदीय शिष्टमंडल के प्रतिनिधि तथा नेशनल असंबली ऑफ पाकिस्तान के उपाध्यक्ष श्री कासिम सूरी द्वारा किए गए दावों के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की:-

‘महामहिम, इस मंच पर भारत के आंतरिक मामलों को उठाए जाने का हम पुरजोर विरोध करते हैं।

इस शिखर सम्मेलन की विषय-वस्तु से इतर मुद्दों को उठाकर इस मंच का राजनीतिकरण करने की हम निंदा करते हैं। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के लिए यह आवश्यक है कि वह सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसे अपना समर्थन देना बंद करे।

महामहिम, आज आतंकवाद पूरी मानवता और समूचे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है।

इसलिए हमें सर्वसम्मति से इस गरिमापूर्ण सम्मेलन में परिचालित वक्तव्यों को कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए।

मालदीव मजलिस के माननीय अध्यक्ष मोहम्मद नशीद तथा अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) के माननीय महासचिव श्री मार्टिन द्वारा बार-बार यह स्पष्ट किए जाने की यह मंच/शिखर सम्मेलन मात्र सतत विकास लक्ष्यों के लिए है इसके बावजूद भी पाकिस्तान के उपाध्यक्ष द्वारा किसी अन्य देश के आंतरिक मुद्दे को यहां उठाया जा रहा है।

कृपया मुझे पुनः बोलने का अवसर दें, उसी देश के एक प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए मानवाधिकार के मुद्दे पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महामहिम मैं यह पूछना चाहूंगा कि किस नैतिक अधिकार से यह देश मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों को उठा रहा है। समूचा विश्व इस बात का साक्षी है कि इन्होंने अपने देश के ही एक हिस्से में नरसंहार किया और वही हिस्सा आज एक अलग देश अर्थात् बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। चूंकि इन्होंने कश्मीर के मानवाधिकार के मुद्दे को उठाया है अतः मैं यहाँ कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने कश्मीर के ही एक हिस्से अर्थात् पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा किया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दो क्षेत्र अर्थात् तथाकथित आज़ाद जम्मू और कश्मीर (ए.जे.के) तथा गिलगित बालटिस्तान (जी.बी) को पाकिस्तान ने 1947 में सैन्य कार्रवाई के माध्यम से अवैध रूप से कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की जनता के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक संवैधानिक इकाई के रूप में तथाकथित आजाद जम्मू और कश्मीर की स्थिति विचित्र है। वहां पृथक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधानमंडल की व्यवस्था के माध्यम से उनको एक पृथक राष्ट्र होने का छलावा दिया गया है जबकि तथाकथित जम्मू और कश्मीर ना ही कोई देश है और ना ही कोई प्रांत। चीन के साथ संयोजन और नदियों के नियंत्रण की अपनी रणनीति के तहत कराची समझौते (28 अप्रैल 1949) के माध्यम से पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की 85% भूमि को अपने नियंत्रण में ले लिया। कराची समझौते के समय से ही तथाकथित आजाद जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की शक्तियां केवल नाम मात्र की हैं और वह भी मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स (तदनंतर मिनिस्ट्री ऑफ़ कश्मीर एंड नदर्न एरियास (के.एन.ए) तथा इसके पश्चात मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड गिलगित बालटिस्तान) की अनुकंपा पर है।